


<p>दिनांक हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>हुकम त नंबर तारी</p>
<p><u>30/12/19</u></p>	<p>पत्रावली चेश दुई मूल वाद सं 79/19 का निस्तारण होने से प्रार्थना पत्र को आगे चलाना न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थी का पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुद्ध होकर दाखिल दफ्तर हो। निबंध सरे इलाका सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  उपरवण्ड अधिकारी सुमरपुर, जिला-पाली (राज.) </p>	

